International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232, Impact Factor: RJIF 5.22
www.hindijournal.com
Volume 3; Issue 3; May 2017; Page No. 16-17

कृषकों के आर्थिक विकास में ग्रामीण बैंक का योगदान (मस्तूरी विकासखण्ड के संदर्भ में)

[1] डॉ0 प्रीति शुक्ला, [2] गितिका टॉक

[1] सहायक प्राध्यापिका, सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड़ कोटा बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत।
[2] एम.फिल (वाणिज्य), सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, करगी रोड़ कोटा बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत।

प्रस्तावना

जहॉ आज हम आर्थिक उदारीकरण के परिवेश को अपना रहे है। ऐसी स्थिति में कृषि एवं ग्राम उद्योग का विकास अपेक्षाकृत तेजी से नहीं हो रहा है इसका जहॉ एक और ग्रामीणों की ऋण ग्रस्तता है दूसरी और संसाधनों के पर्याप्त होने के बाद भी वित्त के आभाव में उत्पादन प्रभावित हो रहा है।

कृषि अपेक्षाकृत असंगठित व्यवसाय है। इसकी सफलता या असफलता बहुत कुछ मौसम पर निर्भर होती है। इसके अलावा किसानों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों में स्पष्ट रूप से उत्पादक और अनुत्पादक में भेद कर पाना आसान नहीं होता। इसलिये बैंकों ने खेती के लिये या उससे संबंधित दूसरे कार्यो के लिए ऋण देने में प्रायः दिलचस्पी नहीं दिखाई है। और लम्बे अर्से तक किसान ऋण के लिये मुख्य रूप से सहूकार और महाजनों पर निर्भर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठ भूमि में कृषि एवं ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों के योगदान में उदारता अत्यंत आवश्यक है। ताकि ग्रामीण कृषकों को सही ऋण उपलब्ध हो सके जिससे वे कृषि कार्य सम्पन्न कर अपना जीवन स्तर ऊपर उठा सके।

ग्रामीण कृषकों के आर्थिक विकास में वित्त की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। जहॉ तक ग्रामीण कृषकों के विकास का प्रश्न है ग्रामीण बैंक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण कृषकों को अधिकाधिक सुविधायें प्रदान करने कृषि एवं कृषकों के आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने पर अधिक बल दिया जा रहा है। जो कि इस दिशा मे एक महत्वपूर्ण प्रगति है। '' क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक केवल ग्रामीण ऋण प्रदान करने वाली संस्थामात्र नहीं हैं। वे इससे कहीं अधिक है। वे बैंक प्रेरित ग्रामीण विकास का एक जरिया है।''

शोध के उद्देश्य

शोध के उद्देश्य निम्नानुसार है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैक द्वारा मस्तूरी विकास खण्ड के ग्रामीण किसानों को वित्त आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान का अध्ययन
2. छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा दी जाने वाली साख एवं वित्त सुविधा में आने वाली समस्याओं के लिए उपाय सुझाना।
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के संसाधनों पर प्रकाश डालना।

परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध की परिकल्पनाएँ निम्नलिखित निर्मित की गयीं :–

1. ग्रामीण बैंक विकासखण्ड के आर्थिक रूप से पिछड़े कृषकों को पर्याप्त मात्रा में साख उपलब्ध कराने में सक्षम है।
2. ग्रामीणों के आर्थिक विकास में बैंक का सर्वोच्च योगदान है।
3. ग्रामीण बैंक द्वारा विकास खण्ड के कृषकों को प्रदान की जाने वाली वित्त एवं साख सुविधाओं का कृषकों द्वारा समय पर पुर्नः भुगतान किया जा रहा है।
4. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ग्रामीण बचतों को आकर्शित एवं संग्रह करने में सफल रहा है।

शोधप्रविधि

प्रस्तुत शोध हेतु मस्तूरी विकासखण्ड के ग्रामीण बैंको व किसानों का अध्ययन प्रश्नावली व साक्षात्कार द्वारा किया गया है। ताकि प्रस्तावित शोध कार्य पूरा किया जा सके।

अध्ययन की आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार अध्ययन में निम्नलिखित शोध विधियों का प्रयोग जैसे – प्रश्नावली, साक्षात्कार, तथा प्रकाशित, अप्रकाशित, व्यक्तिगत सामाग्री का प्रयोग किया गया है। साथ ही विषय से संबंधित बैंक कर्मचारीयों तथा कृषकों से परामर्श व सुझावों का उपयोग किया गया है। तथा निष्कर्ष निकाला गया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण पश्चात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की स्थापना के बाद कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
2. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा कृषकों को कृषि कार्य हेतु जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उनसे कृषकों को लाभ हुआ है तथा उनके उपज में वृद्धि हुई है।
3. कृषको द्वारा जो ऋण ग्रामीण बैंको से लिया जाता है उसके आधार पर उत्पादन में वृद्धि हुई है।
4. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से उपलब्ध ऋण का कृषक समय पर भुगतान नही करते तथा कृषकों द्वारा पुनः ऋण प्राप्ति में कठिनाई होती है।
5. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का प्रयास हमेशा होता है कि कृषकों को उनकी सुविधा के आधार ऋण उपलब्ध करा सके।
6. वित्त की सुविधा के कारण कृषकों द्वारा नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

सुझाव

शोध निष्कर्षो के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत है।

1. कृषि हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को खेती की विशिष्ट समस्याओं को ध्यान में रखकर ही वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए।
2. कृषि कार्य में अनिश्चितता का अंश बहुत ज्यादा होंने कि वजह से खेती के लिये समुचित मात्रा में संस्थागत वित्त की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. कृषकों हेतु सम्पत्ति के आधार पर नहीं वरन आवश्यकता के आधार पर कृषि वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए

4. ग्रामीण बैको को छोटे व भुमिहीन कृषकों को वित्त उपलब्ध कराने में सहयोग करना चाहिए। क्योंकि छोटे व भूमिहीन कृषकों को वित्त की आवष्यकता अधिक होती है।
5. कृषकों द्वारा ऋण वापसी सही समय में किया जाना चाहिए ताकि पुनः ऋण प्राप्ति में सुविधा हो।
6. जहां तक जमाओं के एकत्रण का, कृषकों कों ऋण प्रदान करने का तथा ग्रामीण बैंक की सुविधाओं के विस्तार की बात है। और अधिक प्रयास किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल एन.एल, भारतीय कृशि का अर्थशास्त्र।
2. डॉ. एन. माथुर और पी.सी. जैन, भारतीय बैंकिंग प्रणाली।
3. गौंड़ श्यामलाल, विकासमान बैंकिग एवं ग्रामीण विकास।
4. जैन पी.सी. भारत के कृशि विकास।
5. जाट. बी.सी. ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका, 1990।
6. खन्ना, श्री एस.एन. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यवसाय का विकास, 1990।